बिहार सरकार,

गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक–02/रेगु०–02–800–6/15– 166 /पटना, दिनांक– जनवरी, 2026

आदेश

विभाग को लगातार ऐसी शिकायत प्राप्त हो रही है कि एक चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र से दूसरे चीनी मिल द्वारा गन्ने की अवैध खरीद (Poaching) करने का प्रयास किया जा रहा है, जो विभागीय सट्टा नीति एवं ईख अधिनियम के प्रावधानों का घोर उल्लंघन है।

2. उक्त के आलोक में जो किसान अपने चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र से दूसरे चीनी मिल के क्षेत्र में बाहर जाकर गन्ना बेचते हैं, उन्हें चिन्हित कर किसान के चीनी मिल एवं कृषक कोड को अंकित कर सूची बनायी जाएगी। ऐसे चिन्हित किसानों को विभाग के किसी भी योजनाओं का लाभ (जैसे–मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना, यंत्रीकरण योजना, 10 रू० प्रति क्विंटल ईख मूल्य भुगतान का लाभ) 2(दो) वर्षो तक देय नहीं होगा। ऐसे किसानों की सूची तैयार करने की कार्रवाई संबंधित ईख पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। उक्त सूची को समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जायेगा।

3. यदि कोई चीनी मिल दूसरे चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र से ईख की अवैध खरीद में संलिप्त पाये जायेंगे तो विभाग द्वारा प्रोत्साहन पैकेज के लाभ से 2(दो) वर्ष तक वंचित कर दिया जायेगा और उनके विरूद्ध ईख अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वैधिक कार्रवाई की जायेगी।

4. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

14/1/2026

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–800–6/15– 166 /पटना, दिनांक– 14 जनवरी, 2026

प्रतिलिपि–महाप्रबंधक/दखलकार/कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिलें/राज्य से गन्ना क्रय करनेवाली उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/1/2026

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–800–6/15– 166 /पटना, दिनांक– 14 जनवरी, 2026

प्रतिलिपिः– सभी ईख पदाधिकारी/विशेष ईख पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास/सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/1/2026

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–800–6/15– 166 /पटना, दिनांक– 14 जनवरी, 2026

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

14/1/2026

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–800–6/15– 166 /पटना, दिनांक– 14 जनवरी, 2026

प्रतिलिपिः–आई० टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/1/2026

ईखायुक्त, बिहार।